


**कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)**

क्रमांक— <sup>342</sup> /V-5-3/2016 **// परिपत्र //** <sup>30</sup> जबलपुर, दिनांक सितम्बर 2021

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र क्रमांक रजि. (आई.टी.) (एस.ए.)/2021/1394 दिनांक 28.09.2021 एवं कार्यालयीन परिपत्र क्रमांक 98, दिनांक 25.09.2021 के आलोक में दिनांक 01.10.2021 से निर्देशों के अधीन सभी कर्मचारीगण की उपस्थिति "सार्थक मोबाइल एप" के माध्यम से अंकित की जानी है।

अतः समस्त कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने मोबाइल फोन पर सार्थक एप डाउनलोड कर स्वयं की आई.डी. बनाना सुनिश्चित करें जिससे 01.10.2021 से उनकी उपस्थिति एवं उपस्थित होने का समय सार्थक एप में दर्ज की जा सकें।

उक्त निर्देशों का कड़ाई के पालन सुनिश्चित किया जावे।

  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
जबलपुर (म.प्र.)

क्रमांक— <sup>3357</sup> /V-5-3/2016 जबलपुर, दिनांक <sup>30</sup> सितम्बर 2021

**प्रतिलिपि—निर्देशानुसार—**

1. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जबलपुर।
2. समस्त न्यायिक अधिकारीगण जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
3. प्रभारी अधिकारी प्रतिलिपि/सांख्यिकीय/नजारत/ग्रन्थालय/मालखाना / स्टेशनरी/ लेखा / केन्द्रीय पंजीयन/तलवाना/ अभिलेखागार /आवक-जावक/ स्केनिंग/कम्प्यूटर अनुभाग जबलपुर/सिहोरा/पाटन की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अध्यक्ष, न्यायिक कर्मचारी संघ, जिला शाखा जबलपुर की ओर समस्त कर्मचारीगण को अवगत कराने हेतु प्रेषित।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला न्यायालय की बेवसाईट एवं समस्त न्यायिक अधिकारी जबलपुर/सिहोरा/पाटन की ई-मेल आई.डी. पर प्रेषित की जावे एवं परिपत्र का पालन शीघ्रतापूर्वक पूर्ण करें।

वास्ते—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
✓ जबलपुर (म.प्र.)